भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1580
02 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी योजनाएं

1580. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) से संबंधित कुल कितनी योजनाओं की सिफारिश केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई है;

(ख) इनमें से कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंजूर की गई योजनाओं के लिए कुल कितनी निधि का व्यय किया गया है और तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट स्कीम के प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की गई है । केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम- **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)** कार्यान्वित कर रही है जिसमें निम्नलिखित स्कीम घटक हैः

1. मेगा फूड पार्क
2. एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना
3. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार
4. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना
5. बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन
6. खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
7. मानव संसाधन एवं संस्थान

मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों जिसमें महाराष्ट्र राज्य शामिल है में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु नवम्बर, 2018 से पीएमकेएसवाई की वर्टीकल स्कीम के रूप में "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम भी चला रहा है ।

उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज),उद्यमियों, सहकारिताओं, समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों तथा केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । ये स्कीमें मांग प्रेरित हैं और इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य विशिष्ट आवंटन किया जाता है । पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है ।

*****